2025:CGHC:42509

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध अपील प्रतिकर क्रमांक 1204/2018

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड रायपुर, मदीना बिल्डिंग, कचहरी चौक रायपुर, छत्तीसगढ़...
(वाहन ट्रैक्टर क्रमांक C.G. 04 ZQ–1697 एवं ट्रॉली क्रमांक C.G. 10 A–0013 की बीमाकर्ता)

... अपीलार्थी

विरुद्ध

1– श्रीमती गीता, पति स्व. जीतू जांगड़े, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी ग्राम लटुवा, थाना और तहसील बलौदा बाजार, जिला– बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़। वर्तमान पता– डोडेखुर्द ईंट निर्माण स्थल, थाना और तहसील धरसींवा, जिला– रायपुर, छत्तीसगढ़।

2– नीलम, पिता स्व. जीतू जांगड़े, आयु लगभग 13 वर्ष अवयस्क, द्वाराः माता प्रत्यर्थी क्रमांक 1 श्रीमती गीता,पति स्व. जीतू जांगड़े। निवासी ग्राम लटुवा, थाना और तहसील बलौदा बाजार, जिला– बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़। वर्तमान पता– डोडेखुर्द ईंट निर्माण स्थल, थाना और तहसील धरसींवा, जिला– रायपुर, छत्तीसगढ़।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3– अमन, पिता स्व. जीतू जांगड़े, आयु लगभग 12 वर्ष अवयस्क, द्वाराः माता प्रत्यर्थी क्रमांक 1 श्रीमती गीता,पति स्व. जीतू जांगड़े। निवासी ग्राम लटुवा, थाना और तहसील बलौदा बाजार, जिला– बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़। वर्तमान पता– डोडेखुर्द ईंट निर्माण स्थल, थाना और तहसील धरसींवा, जिला– रायपुर, छत्तीसगढ़।

4– करीना, पिता स्व. जीतू जांगड़े, आयु लगभग 10 वर्ष (अवयस्क), द्वाराः माता प्रत्यर्थी क्रमांक 1 श्रीमती गीता,पति स्व. जीतू जांगड़े। निवासी ग्राम लटुवा, थाना और तहसील बलौदा बाजार, जिला– बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़। वर्तमान पता– डोडेखुर्द ईंट निर्माण स्थल, थाना और तहसील धरसींवा, जिला– रायपुर, छत्तीसगढ़।

5– करण, पिता स्व. जीतू जांगड़े, आयु लगभग 8 वर्ष (अवयस्क), द्वाराः माता प्रत्यर्थी क्रमांक 1 श्रीमती गीता,पति स्व. जीतू जांगड़े। निवासी ग्राम लटुवा, थाना और तहसील बलौदा बाजार, जिला– बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़। वर्तमान पता– डोडेखुर्द ईंट निर्माण स्थल, थाना और तहसील धरसींवा, जिला– रायपुर, छत्तीसगढ़।

6– कु. रीना, पिता स्व. जीतू जांगड़े, आयु लगभग 6 वर्ष (अवयस्क), द्वाराः माता प्रत्यर्थी क्रमांक 1 श्रीमती गीता,पति स्व. जीतू जांगड़े। निवासी ग्राम लटुवा, थाना और तहसील बलौदा बाजार, जिला– बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़। वर्तमान पता– डोडेखुर्द ईंट निर्माण स्थल, थाना और तहसील धरसींवा, जिला– रायपुर, छत्तीसगढ़।

7– आकाश, पिता स्व. जीतू जांगड़े, आयु लगभग 3 वर्ष (अवयस्क), द्वाराः माता प्रत्यर्थी क्रमांक 1 श्रीमती गीता,पति स्व. जीतू जांगड़े। निवासी ग्राम लटुवा, थाना और तहसील बलौदा बाजार, जिला– बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़। वर्तमान पता– डोडेखुर्द ईंट निर्माण स्थल, थाना और तहसील धरसींवा, जिला– रायपुर, छत्तीसगढ़।

8– रामदास, पिता दयाराम जांगड़े, आयु लगभग 70 वर्ष, निवासी ग्राम लटुवा, थाना और तहसील बलौदा बाजार, जिला– बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़। वर्तमान पता– डोडेखुर्द ईंट निर्माण स्थल, थाना और तहसील धरसींवा, जिला– रायपुर, छत्तीसगढ़।

9– किशोर यादव, पिता राधेश्याम, आयु लगभग 22 वर्ष, निवासी मठपुरैना, राकेश चक्रधारी के घर के पास, थाना टिकरापारा, रायपुर, छत्तीसगढ़... (वाहन ट्रैक्टर क्रमांक C.G. 04 ZQ/1697 एवं ट्रॉली क्रमांक C.G. 10A–0013 का चालक)।

10– रमेश, पिता पलटीराम चक्रधारी, निवासी मठपुरैना, ईंट भट्ठे के पास, थाना टिकरापारा, रायपुर, छत्तीसगढ़... (वाहन ट्रैक्टर क्रमांक C.G. 04 ZQ/1697 का स्वामी)।

11– राजेश श्रीवास्तव, निवासी द्वारा रमेश पिता पलटीराम चक्रधारी, मठपुरैना रायपुर, छत्तीसगढ़... (वाहन ट्रॉली क्रमांक C.G. 10A–0013 का स्वामी)।

12– महेन्द्र सिंह चौहान, पिता कामदेव चौहान, निवासी गौरेगांव, केशकाल, जिला– कांकेर, छत्तीसगढ़।

...प्रत्यर्थीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(वाद–शीर्षक वाद सूचना प्रणाली से लिया गया)

अपीलार्थी की ओर से	:	श्री सुधीर अग्रवाल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी क्रमांक 1 से 8 की ओर से	:	कोई उपस्थित नहीं (सूचना तामील होने के बावजूद)
प्रत्यर्थी क्रमांक 9 और 10 की ओर से	:	श्री संतोष कुमार साहू, अधिवक्ता

माननीय श्री अमितेन्द्र किशोर प्रसाद, न्यायाधीश

बोर्ड पर निर्णय

21.08.2025

1. वर्तमान अपील विद्वान नवम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रायपुर (छ.ग.) (एतस्मिन पश्चात जिसे 'दावा अधिकरण' के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 1000/2014 में दिनांक 29.01.2018 को पारित अधिनिर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति जीतू जांगड़े की मृत्यु के कारण दावाकर्तागण के पक्ष में दावा आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से उसकी वसूली तक 9% वार्षिक ब्याज के साथ 8,30,400/– रुपये का प्रतिकर अधिनिर्णित किया गया है,

तथा अधिनिर्णय के संदाय का दायित्व अनावेदक क्रमांक 1 से 4 पर संयुक्त रूप से और पृथक–पृथक रूप से अधिरोपित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में यह हैं कि दिनांक 14.05.2012 को लगभग शाम 4:30 बजे, मृतक पंजीयन क्रमांक CG–04–ZQ–1697 वाले ट्रैक्टर और ट्रॉली क्रमांक CG–10–A–0013 (एतस्मिन पश्चात जिसे "दुर्घटनाकारित करने वाला वाहन" के रूप में संदर्भित किया गया है) में खेत की ओर जा रहा था। मुजगहन–सोनी मार्ग पर मुजगहन के पास रास्ते में, चालक द्वारा उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाए जा रहे दुर्घटनाकारित करने वाला वाहन के सड़क किनारे गड्ढे में पलट जाने के परिणामस्वरूप मृतक वाहन में फंस गया और उसे गंभीर चोटें आईं। उसे उपचार के लिए मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ दिनाँक 15.05.2012 को उसकी मृत्यु हो गई। थाना टिकरापारा, रायपुर में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और अनावेदक क्रमांक 1 के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 279, 338 और 304–क के अधीन अपराध क्रमांक 262/2012 पंजीबद्ध किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. मृतक के विधिक प्रतिनिधि होने के नाते, दावाकर्तागण ने विभिन्न मदों के तहत 13,60,000/– रुपये के प्रतिकर की मांग करते हुए एक दावा याचिका प्रस्तुत की है।

4. संबंधित पक्षकारों द्वारा अभिलेख पर लाए गए अभिवचनों के साथ–साथ मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के विवेचन के उपरांत, विद्वान दावा अधिकरण ने दावा याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से उसकी वसूली तक 9% वार्षिक ब्याज दर के साथ 8,30,400/– रुपये का प्रतिकर अधिनिर्णीत किया और उसके संदाय का दायित्व अनावेदक क्रमांक 1 से 4 पर संयुक्त एवं पृथक–पृथक रूप से अधिरोपित किया।

5. अपीलार्थी/बीमा कंपनी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि मृतक दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन पर सवार था; यद्यपि, ऐसे सवारी के लिए किसी प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया था। यह आगे तर्क किया गया कि मृतक दुर्घटनाकारित करने वाला वाहन के स्वामी का कर्मचारी नहीं था, और इसलिए बीमा कंपनी प्रतिकर के संदाय हेतु दायी नहीं है। संबंधित बीमा पॉलिसी केवल 'एक्ट ओनली पॉलिसी' थी। यह भी तर्क किया गया कि मृतक ट्रैक्टर पर सवार था, जबकि ट्रैक्टर में चालक के लिए केवल एक सीट होती है और किसी अन्य सवारी को ले जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः, जीतू जांगड़े की मृत्यु के कारण दावाकर्ता किसी भी प्रतिकर के हकदार नहीं हैं। इस संबंध में इस न्यायालय की युगलपीठ द्वारा **विविध अपील प्रतिकर क्रमांक 346/2015 ; नूतन साहू विरुद्ध हेमलाल निषाद व अन्य, निर्णय दिनाँक 25.01.2021** में पारित निर्णय और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **रिखी राम व अन्य विरुद्ध सुखरानिया व अन्य, (2003) 3 एससीसी 97** में पारित निर्णय का अवलंब लिया गया है।

6. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी क्रमांक 9 और 10/दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन के चालक और स्वामी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने विद्वान दावा अधिकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय का समर्थन किया हैं और तर्क किया हैं कि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों के विवेचन करने के पश्चात, विद्वान दावा अधिकरण ने प्रतिकर की उचित एवं न्यायसंगत राशि अधिनिर्णीत की है, जिसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. मैंने संबंधित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है और अभिलेख का अत्यंत सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है।

8. अभिलेख के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि दुर्घटनाकारित करने वाला वाहन ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पास विधिवत बीमित था और बीमा पॉलिसी की शर्तों के अनुरूप चलाया जा रहा था। यह भी प्रतीत होता है कि मृतक ट्रैक्टर की ट्रॉली में एक श्रमिक के रूप में सवार था। साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि ट्रैक्टर और ट्रॉली कृषि कार्यों में लगे हुए थे, और घटना के दिन ट्रॉली खाद से लदी हुई थी। मृतक कृषि क्षेत्र में खाद उतारने के उद्देश्य से उसमें सवार था। धर्मेंद्र जांगड़े (आ.सा.–2) ने अपने साक्ष्य में विशेष रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया है कि जिस ट्रैक्टर में उसका भाई जीतू बैठा था, उसमें चैतूराम नामक एक अन्य व्यक्ति भी बैठा था, जबकि शरद ठक्कर (अना.सा.–1(4)) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि उक्त पॉलिसी के तहत, बीमा कंपनी केवल ट्रैक्टर के चालक के संबंध में जोखिम वहन करती है, जिसके लिए एक विशिष्ट प्रीमियम लिया जाता है। किसी अन्य व्यक्ति के संबंध में कोई प्रीमियम संदेय नहीं है। प्रतिपरीक्षण में उसने स्वीकार किया कि चालक के अतिरिक्त, चालक सहित बैठने की क्षमता 3 + 1 थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. समग्र साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि मृतक उस ट्रैक्टर–ट्रॉली में यात्रा कर रहा था जिसका उपयोग कृषि कार्यों के लिए किया जा रहा था। अतः, बीमा पॉलिसी की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था। परिणामस्वरूप, विद्वान दावा अधिकरण ने बीमा कंपनी पर दायित्व अधिरोपित कर उचित निर्णय लिया है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

10. यह उल्लेख करना सुसंगत है कि यद्यपि दावाकर्ता न तो इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए हैं और न ही प्रतिकर राशि में वृद्धि की मांग करते हुए कोई प्रत्याक्षेप या प्रति–अपील प्रस्तुत की है, फिर भी मोटर यान अधिनियम के अधीन विधि की परोपकारी प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए, और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के आलोक में कि प्रत्याक्षेप की अनुपस्थिति में भी, यदि अधिनिर्णित प्रतिकर अपर्याप्त पाया जाता है तो न्यायालय को उसे बढ़ाने का अधिकार है।

11. हाल ही में, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सुरेखा पति राजेंद्र नखाते व अन्य विरुद्ध संतोष पिता नामदेव जाधव व अन्य, सिविल अपील क्रमांक** 476/2020, **निर्णय दिनांक** 21.01.2020 में पारित निर्णय, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

> "2. वर्धित प्रतिकर से इस आधार पर इनकार करना कि दावाकर्ता प्रति–अपील प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं, अनुचित है; न्यायालय को अति–तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रभावित व्यक्ति या दावाकर्तागण को न्यायसंगत प्रतिकर अधिनिर्णीत किया जाए।
>
> 3. अब तक यह सुस्थापित हो चुका है कि मोटर दुर्घटना के संदर्भ में बीमा दावे के प्रतिकर के प्रकरण में, न्यायालय को अति–तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रभावित व्यक्ति या दावाकर्तागण को न्यायसंगत प्रतिकर अधिनिर्णित किया जाए।"

12. उपरोक्त निर्णय के सावधानीपूर्वक पठन से यह स्पष्ट है कि प्रति–अपील या प्रत्याक्षेप की अनुपस्थिति में भी, न्यायालय मोटर यान अधिनियम के अधीन विधि के परोपकारी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय को उचित एवं न्यायसंगत प्रतिकर अधिनिर्णीत करने का अधिकार है।

13. आक्षेपित अधिनिर्णय के परिशीलन करने पर यह पाया गया है कि दावा अधिकरण ने आश्रितता की हानि, साहचर्य की हानि और अन्य पारंपरिक मदों के तहत प्रतिकर प्रदान करने में त्रुटि की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. विद्वान दावा अधिकरण के समक्ष, दावाकर्तागण ने मृतक की आय श्रमिक के रूप में कार्य करते हुए 200/– से 300/– रुपये प्रतिदिन होने का अभिवचन किया था, किंतु मृतक के वेतन या आय के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। दावाकर्ता अपनी दावा याचिका में किए गए आय के दावे को साबित करने में असफल रहे, इसलिए प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, विद्वान दावा अधिकरण द्वारा मृतक की आय का निर्धारण काल्पनिक आधार पर किया जाना चाहिए था और मृतक की आय 48,000/– रुपये प्रति वर्ष मानी गई।

15. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सरला वर्मा विरुद्ध दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, (2009) 6 एससीसी 121** में पारित विधि के आधार पर अब विधिक स्थिति स्थापित हो चुकी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक पीठ द्वारा **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध प्रणय सेठी व अन्य, एआईआर 2017 एससी 5157** में भी इसकी पुष्टी की गई है। यद्यपि दावा अधिकरण द्वारा यह अवधारित गया कि मृतक की आयु 35 वर्ष थी, फिर भी आयु के संबंध में कोई निर्णायक प्रमाण नहीं है। उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर, न्यायालय इसे 35 वर्ष ही मानता है जैसा कि दावाकर्तागण द्वारा तर्क दिया गया था। वर्तमान प्रकरण में, विद्वान दावा अधिकरण ने मृतक की आय 4,000/– रुपये प्रति माह, अर्थात 48,000/– रुपये प्रति वर्ष मानकर उचित निर्णय लिया है। उपरोक्त उद्धृत माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुसार, निश्चित आय के बिना 40 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के प्रकरण में, भविष्य की संभावनाओं के निर्धारण हेतु आय का 40% जोड़ा जाना चाहिए, जो कि 67,200/– रुपये प्रति वर्ष होता है।

व्यक्तिगत और जीवन निर्वाह व्यय के लिए 1/5 हिस्सा घटाने के बाद, मृतक की वार्षिक आय 53,760/– रुपये आती है। 16 का गुणन लागू करने के बाद, मृतक की आय की हानि 8,60,160/– रुपये होती है।

16. साहचर्य के दायरे को बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध नानू राम उर्फ चुहरू राम व अन्य, (2018) 18 एससीसी 130** में स्पष्ट किया गया है। यह तीन प्रकार का हो सकता है; **पैतृक साहचर्य** (माता–पिता की मृत्यु के कारण संतानों को देय); **वैवाहिक साहचर्य** (साथी की मृत्यु के कारण जीवित जीवनसाथी को देय) और **संतान का साहचर्य** (संतानों की मृत्यु के कारण माता–पिता को देय)। इस स्थिति को देखते हुए, दावाकर्ता साहचर्य की हानि के मद में 3,20,000/– रुपये की राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। इसके अतिरिक्त, **प्रणय सेठी** (पूर्वोक्त) में पारित विधि के आलोक में अंत्येष्टि व्यय के लिए 15,000/– रुपये की राशि देय है। **प्रणय सेठी** (पूर्वोक्त) में पारित निर्णय के अनुसार, अपीलार्थीगण/दावाकर्तागण संपदा की हानि के लिए भी 15,000/– रुपये की राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध सतिंदर कौर उर्फ सतविंदर कौर व अन्य, एआईआर 2020 एससी 3076** में प्रकाशित प्रकरण में प्रतिपादित विधि के अनुसार, संपदा की हानि, अंत्येष्टि व्यय और साहचर्य की हानि के संबंध में प्रत्येक तीन वर्षों में 10% की वृद्धि देना भी आवश्यक है।

17. उपरोक्त पुनर्गणना के आधार पर, दावाकर्ता निम्नलिखित रीति से प्रतिकर प्राप्त करने के हकदार हैं:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

क्र.	मद	गणना	अधिनिर्णित राशि
1.	मृतक की आय @4,000/– रुपये प्रति माह	48,000/– रुपये प्रति वर्ष	
2.	भविष्य की संभावनाओं के रूप में 40% की वृद्धि	48,000 + 19,200 = रु. 67,200/–	
3.	मृतक के व्यक्तिगत व्यय के रूप में 1/5 की कटौती	67,200 / 5 = 13,440/– = रु.53,760/–	
4.	16 का गुणन लागू करने के बाद प्रतिकर	53,760 x 16	रु. 8,60,160/–
5.	संपदा की हानि	15,000 + 3,000 प्रत्येक तीन वर्ष में 10% वृद्धि के साथ	रु.18,000/–
6.	सभी आठ दावाकर्तागण को साहचर्य की हानि @ 40,000/– रुपये	40,000 + 8,000 = 48,000/–प्रत्येक तीन वर्ष में 10% वृद्धि के साथ	रु.3,84,000/–

क्र.	मद	गणना	अधिनिर्णित राशि
7.	अंत्येष्टि व्यय	15,000 + 3,000 प्रत्येक तीन वर्ष में 10% वृद्धि के साथ	रु.18,000/–
		कुल अधिनिर्णित प्रतिकर	**रु. 12,80,160/–**

18. उक्त परिस्थितियों में, कुल प्रतिकर **12,80,160/– रुपये** होता है। दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णित 8,30,400/– रुपये को घटाने के बाद, प्रतिकर में कुल वृद्धि **4,49,760/–** रुपये होगी।

19. इस प्रकार, दावाकर्ता दावा अधिकरण द्वारा पूर्व में अधिनिर्णित राशि के अतिरिक्त 4,49,760/– रुपये प्राप्त करने के हकदार होंगे। इस बढ़ी हुई राशि पर अधिनिर्णय में वृद्धि की तिथि से उसकी वसूली तक 9% वार्षिक दर से ब्याज देय होगा। विद्वान दावा अधिकरण द्वारा अधिरोपित अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. चूँकि, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि दुर्घटना के दिन दुर्घटनाकारित करने वाला वाहन बीमा कंपनी के पास विधिवत बीमित था, अतः बीमा कंपनी को निर्देशित किया जाता है कि वह इस न्यायालय द्वारा संशोधित बढ़ी हुई प्रतिकर राशि का संदाय इस निर्णय की सत्यापित प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर दावाकर्तागण को करे।

21. तदनुसार, अधिनिर्णय के संदाय हेतु बीमा कंपनी के दायित्व को यथावत रखते हुए, बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत अपील को प्रतिकर की वृद्धि के संबंध में उपरोक्त संशोधन के अधीन **खारिज** किया जाता है।

22. चूँकि उचित सूचना के बावजूद दावाकर्तागण की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है, अतः यह निर्देशित किया जाता है कि प्रतिकर में वृद्धि की सूचना संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़ के माध्यम से दावाकर्तागण को उनके दिए गए पते पर दी जाए। रजिस्ट्री को निर्देशित किया जाता है कि वह इस निर्णय की एक प्रति दावाकर्तागण के साथ–साथ संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़ को भी अग्रेषित करे, जिसमें यह सुनिश्चित करने का निर्देश हो कि दावाकर्तागण संबंधित विद्वान दावा अधिकरण के समक्ष उपयुक्त प्रमाण प्रस्तुत कर बढ़ा हुआ प्रतिकर प्राप्त कर सकते हैं।

सही/–
(अमितेन्द्र किशोर प्रसाद)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur